उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक कैम्प–मेमो–11/एसएलएसए–15/2020 (पीएस/शरन) दिनांकितः अप्रैल 05, 2020 में उल्लिखित हाई पावर्ड कमेटी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु पारित प्रशासनिक आदेश संख्या 118/2020

06.04.2020

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सुदीप कुमार जायसवाल द्वारा उक्त पत्रांक, सुओ–मोटो याचिका संख्या 01/2020 इन री कन्टेजन आफ कोविड–19 इन प्रिजन्स में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में गठित हाई पावर्ड कमेटी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त पत्रांक में इस आशय का उल्लेख है कि इसी प्राधिकरण के पत्रांक कैम्प–मेमो–5/एसएलएसए–15/2020 (पीएस/शरन) दिनांकित अप्रैल 04, 2020 में हाई पावर्ड कमेटी द्वारा इस आशय का दिया गया दिशा–निर्देश अंकित किया गया है कि किशोर न्याय परिषदें उन मामलों में अन्तरिम जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण करने हेतु प्रतिदिन सम्प्रेक्षण गृह जायेंगी जो उक्त हाई पावर्ड कमेटी द्वारा बैठक दिनांकित 03.04.2020 में तय किये गये मानकों के अनुरूप है।

तदोपरान्त उक्त पत्रांक में इस आशय का उल्लेख है कि यह जानकारी में लाया गया है कि संप्रेक्षण गृह मात्र कुछ जनपदों में हैं तथा जनपदों के क्लस्टर से सम्बन्ध रखने वाले किशोरों को उनमें रखा जाता है। कई संप्रेक्षण गृह जनपद से दूर हैं और किशोर न्याय परिषदों के लिए यह सम्भव नहीं है कि अन्तरिम जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण हेतु उनमें प्रतिदिन जाये। इन तथ्यों पर विचार करते हुए महिला एवं बाल कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनपदानुसार तैयार की गयी सूची को इस पत्रांक के साथ संलग्न किया गया है, जिसमें इस सूची में किशोरों के विवरण अंकित हैं। किशोर न्याय परिषदों द्वारा मात्र उन मामलों में अन्तरिम जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण किया जायेगा जो कि हाई पावर्ड कमेटी द्वारा निर्धारित किये गये उस मानक के अनुरूप हैं जिसे उक्त पूर्व पत्रांक कैम्प–मेमो–5/ एसएलएसए–15/2020 (पीएस/शरन) दिनांकित अप्रैल 04, 2020 में अंकित किया गया है। अब स्थिति यह होगी कि उन जनपदों, जिनमें सम्प्रेक्षण गृह स्थित नहीं हैं, के किशोर न्याय परिषदों द्वारा दिनांक 08.04.2020 को या इससे पूर्व कोई तिथि निर्धारित करते हुए सम्बन्धित जनपदों में अन्तरिम जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण हेतु जाना होगा। उसके पश्चात् यदि प्रार्थना–पत्र प्राप्त होते हैं तो उस सम्प्रेक्षण गृह का प्रभारी/अधीक्षक सम्बन्धित किशोर न्याय परिषद को उसकी सूचना देते हुए ऐसे प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण हेतु अन्य तिथि नियत किये जाने का अनुरोध करेगा लेकिन जिन जनपदों में संप्रेक्षण गृह स्थित हैं उनमें हाई पावर्ड कमेटी के निर्देशों का किशोर

Scanned with CamScanner

न्याय परिषदों द्वारा पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। अन्य जनपदों में स्थापित सम्प्रेक्षण गृहों में जाने हेतु जिला प्रशासन से पास निर्गत किये जाने का अनुरोध किया जा सकता है।

पूर्व में श्री बी0एल0 यादव, जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित मेमो/जि0प्रो0का0/न्या0/अनु0/2020–21 दिनांकित 05.04.2020 के द्वारा यह अवगत कराया जा चुका है कि जनपद आजमगढ़ में बालकों के देख–रेख एवं पोषण/विधि विवादित किशोरों से सम्बन्धित कोई भी संस्थान संचालित/कियाशील नहीं है। इस जनपद आजमगढ़ के विधि विवादित किशोर जनपद राजकीय संप्रेक्षण गृह, मऊ में प्रधान मजिस्ट्रेट , किशोर न्याय परिषद, आजमगढ़ के आदेश से आवासित कराये जाते हैं, अतः हाई पावर्ड कमेटी द्वारा दिये गये उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु किशोर न्याय–परिषद, आजमगढ़ के प्रधान मजिस्ट्रेट श्री मनीष कुमार–द्वितीय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 13, आजमगढ़ एवं इसी परिषद के दो अन्य सदस्यगण कमशः श्री राजमणि यादव व श्रीमती सुशीला राय राजकीय संप्रेक्षण गृह मऊ जाने हेतु अब से लेकर दिनांक 08.04.2020 तक की कोई तिथि नियत करके उस संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक को अविलम्ब सूचित करें तथा उस तिथि पर उस संप्रेक्षण गृह में पहुॅच कर हाई पावर्ड कमेटी द्वारा निर्धारित किये गये मानकों में उक्त पत्रांक दिनांकित 05.04.2020 के साथ संलग्न सूची में जो मामले आते हैं उनमें प्रस्तुत किये गये अन्तरिम जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करें।

इस आदेश को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय तथा इसे जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के आफिसियल वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़,

दिनांकः अप्रैल 06, 2020

संख्याः /प्रथम, दिनांकः अप्रैल 06, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. जिलाधिकारी, आजमगढ़,
02. पुलिस अधीक्षक, आजमगढ.,
03. श्री मनीष कुमार–द्वितीय, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय परिषद, आजमगढ़,
04. जिला परिवीक्षा अधिकारी, आजमगढ़,
05. अधीक्षक, राजकीय संप्रेक्षण गृह, मऊ,
06. प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़,

Scanned with CamScanner

07. नोडल आफिसर (कम्प्यूटर)/सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की इस आदेश की प्रति को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रस्तुत करें।

08. श्री राजमणि यादव, सदस्य, किशोर न्याय परिषद, आजमगढ़,

09. श्रीमती सुशीला राय, सदस्य, किशोर न्याय परिषद, आजमगढ़,

10. अध्यक्ष/मंत्री, दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ, आजमगढ़,

11. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को ऐसे समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित जो कि जनपद आजमगढ़ में सर्कुलेशन में हो ताकि इसकी जनसामान्य को जानकारी हो सके।

6-4-2020

(प्रमोद कुमार शर्मा)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़,

System officer to ensure compliance.
6/4/2020

Scanned with CamScanner